कार्यालय, नगर पालिका–परिषद, रामनगर, वाराणसी।

सं0 295 /रा0 वित्त आ0/2017–18 दिनांक जुलाई 14 ,2017

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

नगरपालिका परिषद रामनगर वाराणसी वर्ष 2017–18 में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नांकित कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायें **22-07-2017** को पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, उप जिलाधिकारी सदर, तथा नगर पालिका परिषद कार्यालय में रखे गये बाक्स में डाली जायेंगी, जो उसी तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाओं का विक्रय भी उपरोक्त 4 कार्यालयों पर दिनांक **21-07-2017** को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक किया जायेगा।

क्र0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने का समय
1	वार्ड नं0 22 मुहल्ला सीहाबीर कुत्ता बाबा घाट पर निकट शंकर जी के मंदिर के पास अधूरे आर0सी0सी0 सीढ़ी के निर्माण का कार्य।	9,76,800.00	97,700.00	1200+5% वैट,	4 माह

नियम एवं शर्तें :–

1. निविदा के साथ जमानत की धनराशि नगद अथवा एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, न0पा0परिषद, रामनगर, के नाम से प्लेज्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र टी–4, हैसियत प्रमाण पत्र टी–5, व्यापार कर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप जिसे पालिका कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर स्व घोषणा पत्र (शपथ पत्र) टी–6 मूल रूप में संलग्न करना होगा। कार्य स्वीकृति के उपरान्त संबंधित ठीकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं कोई भी या समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
5. लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम अंकित करना होगा।
6. नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
7. जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार संबंधित ठीकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, तथा कार्य के मध्य में एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की फोटोग्राफी कराकर उसकी प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. अन्य आवश्यक जानकारी अवर अभियन्ता श्री गोपाल सेठ से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है।
9. ठीकेदारों को कार्यो के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना आवश्यक होगा।

बहू–बेटी बाहर ना जायें, घर–घर शौचालय अपनायें। हम सब का एक ही नारा साफ सुथरा हो नगर हमारा

(अमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी,

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष।